



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

संजय हजाम वगैरह

बनाम




सुरिन हजाम वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम...178..../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी सोनाराम के अप्राथमिकी सं०-49/17 दिनांक-11/12/17 प्रस्तुत वही कोषी पुलिसा प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि पैतृक रूमि खतरा की लेकर उभय पक्ष में विवाद है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिसा प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 19/01/18..... को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div>	

19-01-18

कार्यालय उपस्थापित। उभय पक्ष
 उपस्थित। उभय पक्ष जवाब दाखिल
 की। दिनांक 12-02-18 की शर्त।

19/1/18

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
25-06-18	<p>आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र क्रमांक 02 उपस्थित 01 अधिवक्ता हाजरी दितीप पत्र क्रमांक 03 उपस्थित अन्य सभी अधिवक्ता हाजरी । अग्य पत्र जवाब दारिणाल को दिनांक 09-07-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;">  25/7/18 </p>
09-07-18	<p>आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी दितीप पत्र क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी । दिनांक 27-07-18 को रखे ।</p> <p style="text-align: right;">  9/7/18 </p>
27-07-18	<p>आभिलेख उपस्थापित । प्रथम पत्र क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अधिवक्ता हाजरी । दितीप पत्र क्रमांक 02 उपस्थित अन्य उपस्थित उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद को त्वनाहित हो गया है अतः वाद के आभिलेख को काबूठी बन्द की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;">  27/7/18 </p>